दव

पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौर्यलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना 800001

पत्रांक- 4256 /प०न०नि०

102

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

1. श्री रंजीत लाल, विनसम बिल्डर्स ग्रुप,
202, शांति हेरिटेज, रूकनपुरा,
बेली रोड, पटना-800014, बिहार।
2. वास्तुविद्, श्री उमाशंकर कुमार, निगम प्रदत्त निबंधन संख्या-AR/84/2015
Hartali More, Pahalwan market, Patna

पटना, दिनांक 04.06.2018 ई०

विषय:- संशोधित प्लान केस सं०-P/Digha/PRN/B+G+6/56/2017 के निबंधित वास्तुविद्/अभियंता के द्वारा सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 210.55 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू स्वामी/भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू पट्टी हेतु 210.55 वर्ग मीटर) भू पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे। साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS NO.-8(6)/ 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अत: निबंधित वास्तुविद्/अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 210.55 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं अधिनियम 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद्/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13 (2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद्/अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित सहायक / अभियंता से समय समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद्/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद्/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजक
29/5/18
सहायक निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

"बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना"

D:\Vandana\Desktop\Copy New\Urban Section\Naksa _ 2015-2016-2017\Letter to Naksa's owner (urban planning)\Naksa\Winsom Builders Group...

Scanned by CamScanner

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बावत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बावत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

(ढ़) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Scanned by CamScanner

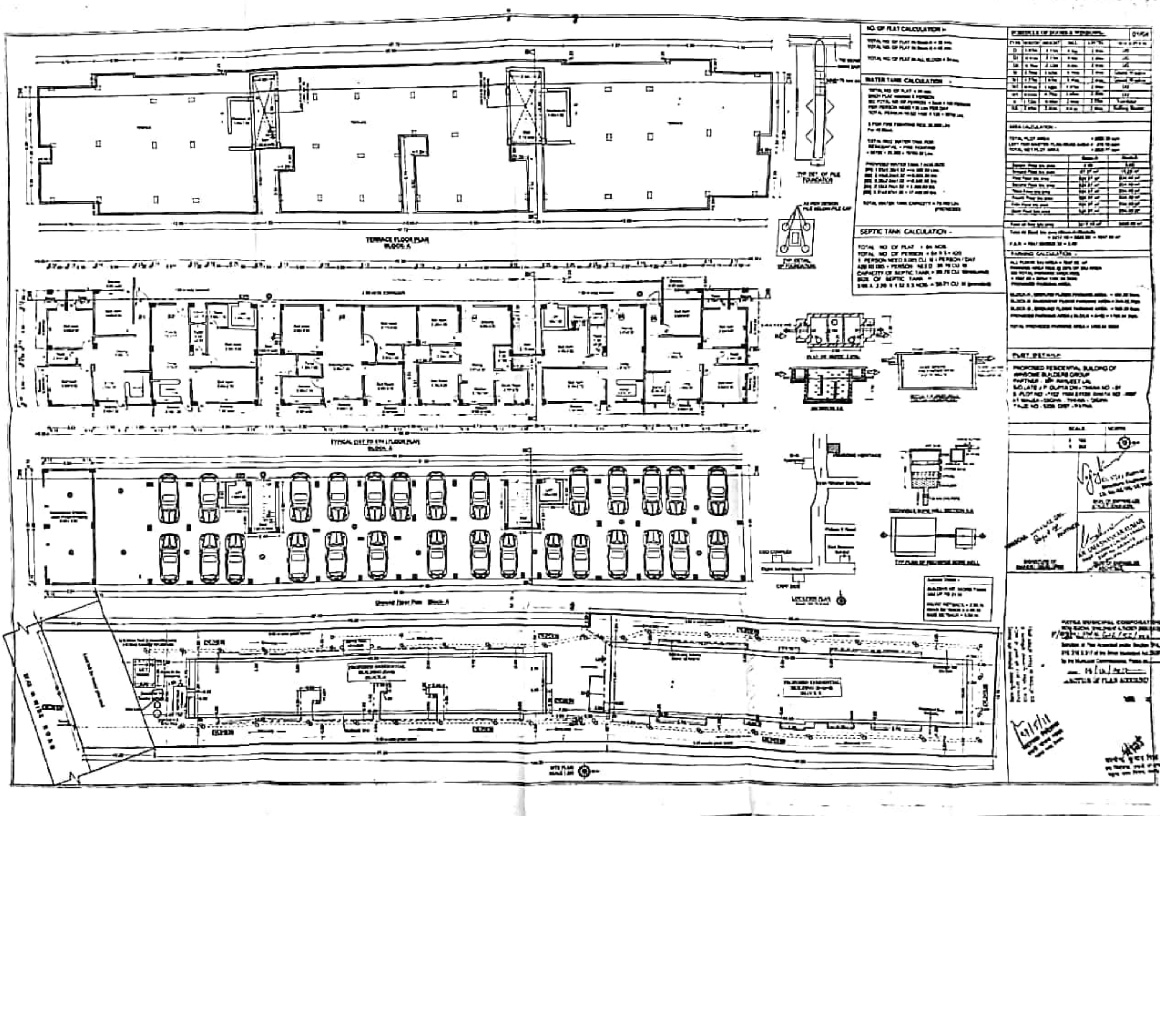

Scanned by CamScanner

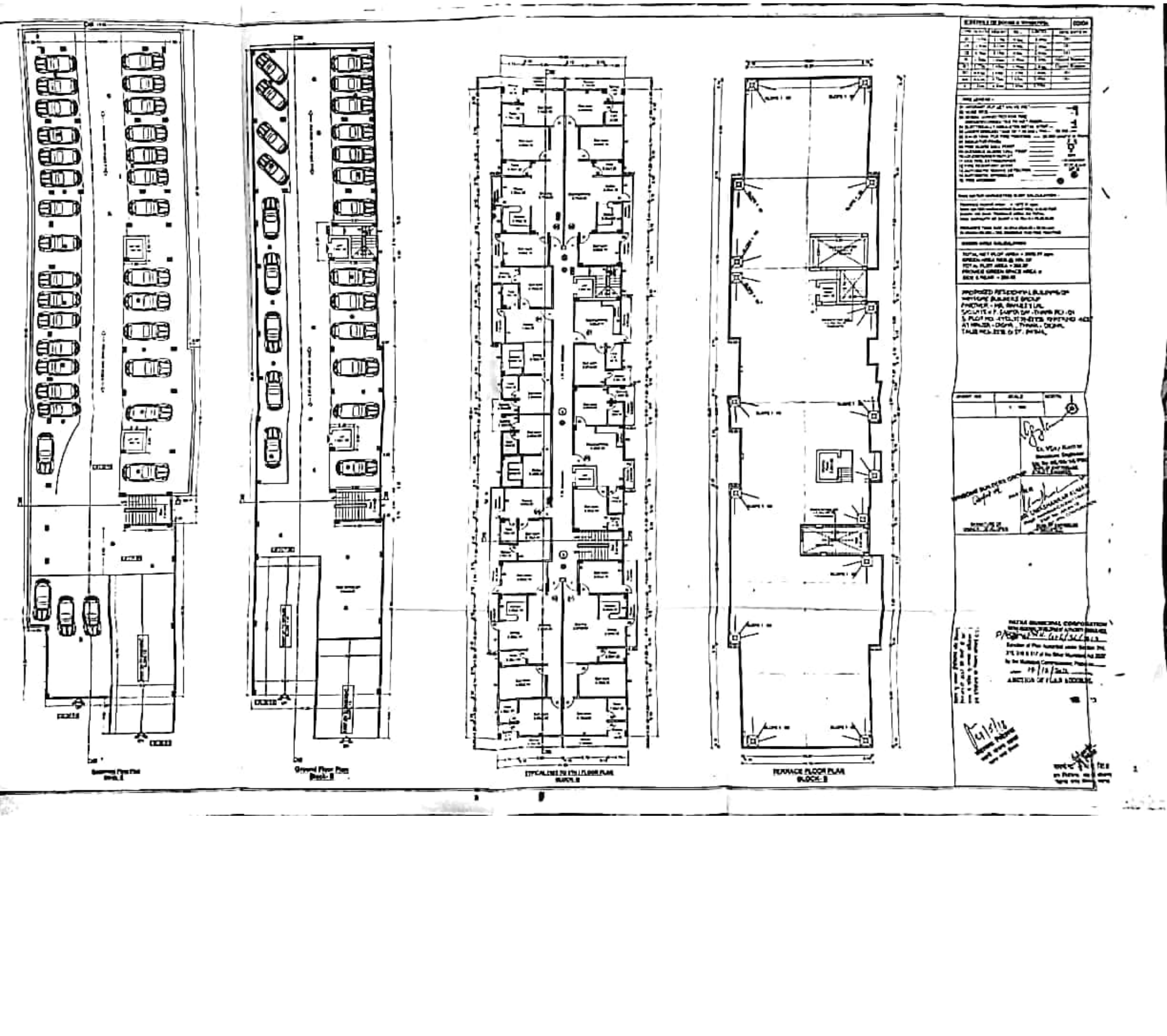

Scanned by CamScanner